न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 48/2008 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2008/00023

उनवान

1. रामजीलाल
2. किशन सिंह
3. राजेन्द्र सिंह

} पुत्रगण भंवर सिंह जातियान गुर्जर निवासी चुरारी गुर्जर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. चन्दन सिंह पुत्र देवीराम जाति गुर्जर निवसी चुरारी गुर्जर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट असल।

2. ब्रह्मदत्त
3. धर्मप्रकाश

} पुत्र मन्नूलाल जाति वैश्य निवासी भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर।

4. गिरीश कुमार दत्तक पुत्र स्व0 परमानन्द जाति वैश्य निवासी बिहारी जी के मंदिर के सामने गिर्राज कालोनी भरतपुर।
5. शिवचरन
6. ओमप्रकाश
7. सतीश चन्द्र
8. गुड्डू

} पुत्रगण गिर्राज जातियान वैश्य निवासी उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

9. गौरीशंकर पुत्र श्री बसंतीलाल जाति वैश्य निवासी उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट तरतीबी।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 10.04.08 प्र.संख्या 530/98 उनवानी चन्दन सिंह बनाम ब्रह्म दत्त।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री उदयवीर सिंह उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री पतराम शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–30.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.04.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/असल रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम चुरारी गूर्जर पर वादी/असल रैस्पो0 व उसके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी को जमींदारी जप्ती के बाद अवैधानिक तौर पर राज्य सरकार में जब्त कर चारागाह घोषित कर दिया गया था इसकी उजरदारी वादी/रैस्पो0 असल ने न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश भरतपुर के यहॉ पेश की जो दिनांक 01.08.1970 को मुझ वादी/रैस्पो0 असल की घरू खैवट व कब्जे काश्त की भूमि मानते हुये चारागाह से रिलीज किया गया। प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार आज तक कभी भी, किसी भी हैसियत से नहीं रहा है। परन्तु प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने वादी/असल रैस्पो0 की अनभिज्ञता में चोरी छुपे विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार दिनांक 12.11.1959 को डिक्री हासिल कर ली एवं उक्त अवैधानिक डिक्री का अमल कराये बिना गुप्त रखा तथा तहसीलदार से साजिश कर विवादित आराजीयात को स्वयं के नाम खातेदारी का इन्द्राज करा लिया एवं विवादित आराजी का कुछ अंश तरतीवी रैस्पो0 को बेचान कर दिया। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है, क्योंकि विवादित आराजी का निस्फ हिस्सा अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश के प्रतिवादी संख्या 03 व 04 से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 15.09.1973 को खरीदा था तथा वक्त वयनामा से ही अपीलाण्ट का उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काश्त व खातेदारी चली आ रही है। वयनामा उप पंजीयक रूपवास के समक्ष तस्दीक हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय ने वयनामा दिनांक 15.09.1973 को नल एण्ड बोईड घोषित कर कानून की धज्जियॉ उडा दी हैं क्योंकि 15.09.1973 से ही अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त व खातेदारी है तथा अब मौके पर अपीलाण्ट की फसल खडी हुयी है। रैस्पो0 का उक्त आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1988 पेज 170, 312, 2002 पेज 77, 1993 पेज 1993, 1971 पेज 08, एआईआर 1981 पेज 1400 का हवाला देते

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की तनकीवार विवेचना की जाकर, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी रैस्पो0 की घरू खेवट व खुदकाश्त की भूमि थी जिस पर रैस्पो0 व उसके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से काबिज चले आ रहे हैं किन्तु विवादित आराजी को जमींदारी जप्ती के बाद राज्य सरकार द्वारा असंवैधानिक तौर पर जप्त कर चारागाह घोषित कर दिया जिसकी रैस्पो0 ने उजरदारी पेश की जिस पर बाद जॉच श्रीमान् अति0 जिलाधीश भरतपुर द्वारा आराजी को रैस्पो0 वादी की घरू खेवट कब्जे काश्त की भूमि मानते हुये दिनांक 01.08.1970 को चारागाह से रिलीज कर दिया। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। परन्तु तरतीवी रैस्पो0 ने असल रैस्पो0 की अनभिज्ञता में चोरी छुपे आराजी मुतवादिया पर किसी प्रकार दिनांक 12.11.1959 को अवैधानिक तौर पर डिक्री प्राप्त कर ली एवं उक्त डिक्री की पालना में अवैधानिक तौर पर अमर कराते हुये, विवादित भूमि का वयनामा अपीलाण्ट के हक में करा दिया। उक्त वयनामा बिना कब्जा व अधिकार होने से स्वयं नल एण्ड वोइड है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1984 पेज 280, 2000 पेज 332 का हवाला देते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल आदेश दिनांक 01.08.1970 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिलाधीश, भरतपुर, नकल जमाबन्दी संवत 2010 से 2013, नकल जमाबन्दी संवत 2012 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 06 रकबा 02 बीघा 06 विस्वा देवीराम पुत्र नन्दन की खुदकाश्त में दर्ज रही है एवं अति0 जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 01.08.1970 से विवादित भूमि को ओकूपाइड मानते हुये चारागाह से मुक्त की गयी है उक्त आदेश में चन्दन सिंह को विवादित भूमि के लिये उजरदार अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि रैस्पो0 चन्दन सिंह व उनके पूर्वजो की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है। अपीलाण्ट के नाम राजस्व अभिलेख में उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.1959 व राजीनामा दिनांक 12.11.1959 की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 121 दिनांक 21.09.1970 को स्वीकार किया गया है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि नामान्तकरण निर्णय तिथि दिनांक 12.11.1959 के लगभग 11 वर्ष बाद स्वीकार किया गया है जबकि विवादित भूमि उस वक्त मकबूजा सरकार चारागाह के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है जिसे बाद में रैस्पो0 ने उजरदारी प्रस्तुत कर चारागाह से मुक्त कराया गया है। इसके अतिरिक्त विधि अनुसार किसी भी डिक्री की अनुपालना दो साल की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद पक्षकारो को नोटिस दिये जाने के उपरान्त ही की जा सकती है। परन्तु उक्त नामान्तकरण बिना पक्षकारो को सूचित किये एवं विधिक प्रक्रिया का अनुसरण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये बिना किया गया है। अपीलाण्ट ने रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं बयानो के रिवटल में ना तो अधीनस्थ न्यायालय एवं ना ही हस्तगत अपील में कोई दस्तावेज पेश किया है। लिहाजा अपीलाण्ट के पक्ष में किसी प्रकार का कोई मामला नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हम, हस्तक्षेप की गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.04.2008 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official